AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

आदेश हेतु नियत दिनांक 02.02.2021
आदेश दिनांक 16.03.2021
सी आर आर नं० 12/2019

श्रीमती दीप्ति वैष्णव, पति रविशंकर वैष्णव, आयु 30 वर्ष
निवासी वैकुण्ठपुर, बावली कुआ के पास, खिरेद्रा बैरागी का घर,
थाना - सिटी कोटवाली, पोस्ट व जिला - रायगढ़, छत्तीसगढ़,
जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

.....**आवेदिका**
याचिकाकर्ता

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. रविशंकर वैष्णव, पिता स्व० रामदास वैष्णव, आयु 35 वर्ष
निवासी महंत गली, पुरानी बस्ती, थाना व तहसील खरसिया
जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़।
वर्तमान पता- सी आर पी ए फ कांस्टेबल नंबर 041682408,
सी.बी.आई., ए.सी.बी. गाँव- धदरामपुरा, वी.आई.पी. रोड
पी.टी.एस. चौक के पास रायपुर, थाना - कोतवाली, रायपुर,
जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. श्रीमती सविता वैष्णव, पति स्व० रामदास वैष्णव, उम्र 53 वर्ष
निवासी महंत गली, पुरानी बस्ती, थाना व तहसील खरसिया
जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़।

3. गौरव वैष्णव पिता स्व० राजू वैष्णव, उम्र 23 वर्ष
निवासी महंत गली, पुरानी बस्ती, थाना व तहसील खरसिया
जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़।

4. पूर्णिमा वैष्णव, पुत्री स्व० राजू वैष्णव, आयु 32 वर्ष

निवासी महंत गली, पुरानी बस्ती, थाना व तहसील खरसिया
जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़।
प्रत्यर्थी क्रमांक 01 का वर्तमान पता सी आर पी ए फ कांस्टेबल नंबर 041682408, सी.बी.आई., ए.सी.बी. गाँव- धदरामपुरा, वी.आई.पी. रोड पी.टी.एस. चौक के पास रायपुर, थाना - कोतवाली, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

..... अनावेदकगण
प्रत्यर्थीगण

सी आर आर नं० 32/2019

1. रविशंकर वैष्णव, पिता स्व० रामदास वैष्णव, आयु 35 वर्ष
निवासी महंत गली, पुरानी बस्ती, थाना व तहसील खरसिया
जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़।
वर्तमान पता- सी आर पी ए फ कांस्टेबल नंबर 041682408, सी.बी.आई., ए.सी.बी. गाँव- धदरामपुरा, वी.आई.पी. रोड पी.टी.एस. चौक के पास रायपुर, थाना - कोतवाली, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. श्रीमती सविता वैष्णव, पति स्व० रामदास वैष्णव, उम्र 53 वर्ष
निवासी महंत गली, पुरानी बस्ती, थाना व तहसील खरसिया
जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़।

3. गौरव वैष्णव पिता स्व० राजू वैष्णव, उम्र 23 वर्ष
निवासी महंत गली, पुरानी बस्ती, थाना व तहसील खरसिया
जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़।

4. पूर्णिमा वैष्णव, पुत्री स्व० राजू वैष्णव, आयु 32 वर्ष
निवासी महंत गली, पुरानी बस्ती, थाना व तहसील खरसिया
जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़।
प्रत्यर्थी क्रमांक 01 का वर्तमान पता सी आर पी ए फ कांस्टेबल नंबर 041682408, सी.बी.आई., ए.सी.बी. गाँव- धदरामपुरा, वी.आई.पी. रोड

पी.टी.एस. चौक के पास रायपुर, थाना - कोतवाली, रायपुर,
जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

.....अपीलार्थी/अनावेदकगण
याचिकाकर्ता

विरुद्ध

श्रीमती दीप्ति वैष्णव, पति रविशंकर वैष्णव, आयु 30 वर्ष
निवासी वैकुण्ठपुर, बावली कुआ के पास, खिरेद्रा बैरागी का घर,
थाना - सिटी कोटवाली, पोस्ट व जिला - रायगढ़, छत्तीसगढ़,
जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ .....**प्रत्यर्थी**

सी आर आर नं० 12/2019 के याचिकाकर्ता	**श्री प्रमोद वर्मा वरिष्ठ अधि.**
तथा सी आर आर नं० 32/2019 के प्रत्यर्थी	**सह विरेन्द्र वर्मा अधि.**
सी आर आर नं० 32/2019 के याचिकाकर्ता	**श्री भास्कर पयासी अधि.**
तथा सी आर आर नं० 12/2019 के प्रत्यर्थी	**सह वैभव पी शुक्ला अधि.**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत
सी ए वी आदेश

16-03-2021

1. यह दोनो आपराधिक पुनरीक्षण न्यायालय पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायालय रायगढ़ छ०ग० के प्रतिवादित आदेश दिनांक 30.11.2018 अपील से उदभूत हुए है।

2. सीआरआर नंबर 12/2019 के याचिकाकर्ता को दोनों मामलों में आवेदिका संबोधित किया जावेगा तथा सीआरआर 12/2019 के प्रत्यर्थीगण जो सीआरआर नंबर 32/2019 के याचिकाकर्ता है, को दोनों मामलों में प्रत्यर्थीगण संबोधित किया जावेगा।

3. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत विभिन्न अनुतोष हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रत्यर्थीगण द्वारा आवेदन का विरोध किया गया। विद्यवान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ द्वारा दिनांक 24.08.2018 को आदेश पारित करते हुए उक्त आवेदन स्वीकार किया गया।

उक्त आदेश में धारा 19 घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत ओदश पारित किया गया कि आवेदिका को मकान या उसके बदले में 3,000/- हजार रुपये प्रतिमाह दिलाया जावे। यह भी आदेश किया गया कि उसे धारा 20 घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मौद्रिक अनुतोष के रूप में 10,000/- रुपये प्रतिमाह आदेश दिनांक से अनुदत्त किया जावे, चिकित्सा खर्च 2,000/- रुपये तथा स्त्री धन भी वापस किये जाने का आदेश दिया गया । आवेदिका को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 धारा 22 के अंतर्गत 75,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस आदेश को अपील में चुनौती दी गई थी । जो कि आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादित आदेश पारित किया गया । प्रत्यर्थी क्र० 01 के विरुद्ध दावा किये गये सभी शीर्षों के अंतर्गत 10,000/- रुपये मौद्रिक अनुतोष को संशोधित किया गया । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रदत्त शेष अनुतोषों को खारिज किया गया है ।

4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि, सीआरआर नं० 12/2019 में प्रतिवादित आदेश गलत पारित किया गया है, निवास आदेश को रद्द किये जाने का कोई कारण नहीं है। आवेदिका अपने माता-पिता के साथ विवशता में रह रही थी, क्योंकि प्रत्यर्थीगण ने वैवाहिक घर में रहना असंभव कर दिया था। इस प्रकार आवेदिका को चिकित्सा व्यय 2000/- रुपये प्रतिमाह का आधार उचित और न्यायसंगत था और उसे

रद्द करने का कोई कारण नहीं था। आवेदिका की लंबी और गहन पीड़ा को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति राशि 75,000/- रुपये न्यायोचित था। अतः प्रतिवादित आदेश संधारणीय नहीं होने के कारण निरस्त किया जाना चाहिए।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने सीआरआर नं० 12/2019 के जवाब में कथन किया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्षियों का गलत मूल्यांकन किया है तथा गलत निष्कर्ष निकाला है। आवेदिका को दिये गये उपहारों के संबंध में आवेदिका की माता और आवेदिका का कथन विश्वसनीय नहीं था तथा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं था कि आवेदिका के आभूषण उनकी सास के द्वारा रख लिये गये थे । आवेदिका के साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि आवेदिका स्वयं अपनी स्वेच्छा से अलग रह रही थी, जो उसे निवास आदेश की अनुतोष हेतु अयोग्य बनाता है। यह भी कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा है और उसे 35,000 रुपये वेतन मिल रहा है। उस पर अन्य आश्रित हैं जो उसी वेतन से भरण-पोषण प्राप्त कर रहे हैं। आवेदिका द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दावा की गई अनुतोष हेतु सारभूत तथ्य मौजूद नहीं था । प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के समय 10,000/- रुपये प्रति माह के भरण-पोषण आदेश को स्वीकार किया और कथन किया कि विवादित आदेश को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। पुनरीक्षण याचिका संख्या 32/2019 पर आदेश के संशोधन हेतु प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. आवेदिका के अधिवक्ता ने जवाब में यह कथन किया है कि उसके ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अलग रहने के कारणों को दर्शित करते हैं। इसलिए, वह निवास आदेश की अधिकारी है और साथ ही प्रकरण की प्रक्रिया में अखंडनीय साक्ष्य के प्रस्तुत होने के कारण विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित स्त्रीधन वापसी का आदेश उचित है । यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादित आदेश को चुनौती देने वाली सीआरआर नं० 32/2019

निराधार और अनुचित है इसलिए उसे खारिज किया जावे। यह प्रार्थना की गयी है कि उचित आदेश पारित किए जावे।

7. उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया गया।

8. अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह पाया गया है कि आवेदिका अपने माता-पिता के साथ रह रही है और उसने साझा गृहस्थी में रहने का दावा नहीं किया है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में आवेदिका ने घर की मांग की है और यदि उसे घर नहीं दिया जाता है, तो उसे इसके बदले 10,000/- रुपये का किराया दिया जा सकता है। साझा गृहस्थी की परिभाषा अधिनियम, 2005 की धारा 2(एस) के तहत दी गई है जो इस प्रकार है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"2. (एस) "साझा गृहस्थी" का अर्थ है एक ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्ता स्वामित्व या किरायेदारी में है या उनमें से किसी के स्वामित्व या किरायेदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रुप से या अकेले, कोई अधिकार हक, हित या साम्या रखते है और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुम्ब का अंग हो सकती है जिसकी प्रत्यर्थी इस बात पर ध्यान दिये बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है ।

इस परिभाषा में यह शब्द है कि पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर रहता था, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके अनुसार साझा गृहस्थी ही एकमात्र वैवाहिक घर होगा जिसमें आवेदिका घर छोड़ने से पहले या उसे घर से बाहर निकाले जाने से पहले रहती थी। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 में

प्रावधान है कि घरेलू नातेदारी में ऐसी महिला को साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार होगा। अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत पारित किया जाने वाला निवास आदेश आवेदिका को साझा गृहस्थी से बेदखल करने के लिए प्रतिबंध के रूप में हो सकता है, या प्रत्यर्थी को साझे गृहस्थी से हटाने का निर्देश दे सकता है, या प्रत्यर्थी और उसके रिश्तेदारों को साझे गृहस्थी के किसी भाग में प्रवेश करने से रोक सकता है, जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या प्रत्यर्थी को उस साझे गृहस्थी को अलग करने, उसका निपटान करने या उस पर भार डालने आदि से रोक सकता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 19 के खण्ड (च) में प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जा सकता है कि वह पीड़ित व्यक्ति के लिए उसी स्तर का वैकल्पिक आवास सुनिश्चित करे, जैसा कि वह साझा गृहस्थी में प्राप्त करती है या यदि परिस्थिति की आवश्यकता हो तो उसका किराया अदा करे । घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 19(च) के अन्तर्गत आदेश पारित किये जाने हेतु उक्त कौन सी परिस्थिति हो सकती है, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. आवेदिका ने ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं किया है कि वह वापस जाना चाहती है और साझा गृहस्थी में फिर से रहना चाहती है, इसलिए, अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत ऐसी व्यवस्था करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, आवेदिका की खुद साझा गृहस्थी में रहने की तत्परता होनी चाहिए और आवेदिका को ऐसी आवास व्यवस्था प्रदान करने में प्रत्यर्थी पक्ष की विफलता होने पर, प्रत्यर्थी को वैकल्पिक आवास प्रदान करने या उसके लिए किराया देने का निर्देश दिया जा सकता है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की प्रक्रिया के अवलोकन उपरांत मेरा यह अभिमत है कि आवेदिका द्वारा वापस जाने और साझा गृहस्थी में रहने की तत्परता नहीं दिखाए जाने के कारण ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिए ऐसे मामले में आवेदिका के निवास आदेश के लिए प्रार्थना की वास्तविकता के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा किये गये अवलोकन को

किसी भी रुप में गलत नहीं कहा जा सकता है। अतः विद्वान जेएमएफसी द्वारा पारित निवास आदेश को निरस्त करने के लिए पारित आदेश मान्य प्रतीत होता है।

10. त्रुटिपूर्ण प्रतिवादित आदेश में स्त्रीधन वापस करने का अन्य आधार पर विचार किया गया। आवेदिका ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 01 के कहने पर उसने अपने आभूषण तथा वस्तुएं सास को सौंप दी थी। जिसके पश्चात उसे उसके मायके भेज दिया गया तथा उसने संरक्षण अधिकारी के समक्ष भी स्त्रीधन वापस करने के लिए प्रार्थना की थी। संरक्षण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदन में सोना, चांदी, घरेलू सामान तथा कपड़ों का उल्लेख है। परंतु आभूषण तथा वस्तुओं के संबंध में कोई विशिष्ट सूची नहीं दी गई है और न ही आवेदिका के कथन में आभूषण, कपड़े तथा वस्तुओं के ऐसे किसी विवरण का उल्लेख है। प्रतिपरीक्षण में एक स्थान पर आवेदिका ने यह स्वीकार किया है कि उसका स्त्रीधन प्रत्यर्थी क्रमांक 01 के कब्जे में है, तथा उसने इस बात से इंकार किया है कि उसका स्त्रीधन अन्य प्रत्यर्थियों के कब्जे में है। आवेदिका की इस स्वीकारोक्ति को प्रत्यर्थी क्रमांक 01 ने अपनी प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है यद्यपि, विवाह के समय दिए गए घरेलू सामान के उपहार के बारे में स्वीकारोक्ति है। प्रत्यर्थी क्रमांक 01 ने आवेदिका के आभूषण और अन्य चीजें रखने के बारे में विशेष रूप से इंकार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 19(8) के अंतर्गत स्त्रीधन वापस प्रदान किये जाने के संबंध में प्रश्न का निर्णय अस्पष्ट कथन के आधार पर नहीं किया जा सकता। आवेदिका के कथन को प्रत्यर्थी क्रमांक 01 ने विशेष रूप से आभूषण आदि के संबंध में न्यायालय के समक्ष अस्वीकार कर दिया है और इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदिका को ऐसे स्त्रीधन वापस किये जाने के अनुतोष

बिना किसी भी ठोस साक्ष्य के आधार पर पारित की गई थी, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित रुप से खारिज किया जाना प्रतीत होता है।

12. मासिक चिकित्सा व्यय 2,000/- रुपये के आधार के संबंध में उक्त बिंदु पर विशिष्ट कथन होना चाहिए कि चिकित्सा व्यय की आवश्यकता क्यों है। आवेदिका के कथन के अवलोकन से दर्शित नहीं है कि वह किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है तथा उसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष चिकित्सा व्यय का दावा करने वाला कोई कथन नहीं किया है। अतैव चिकित्सा अनुतोष का दावा ऐसे साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए जो उक्त अनुतोष हेतु युक्तियुक्त दर्शित हो। इसलिए यह न्यायालय पाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आवेदिका को उक्त अनुतोष अस्वीकार करने में कोई त्रुटि दर्शित नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदिका को 10,000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण के रूप में दिए जाने वाले मौद्रिक अनुतोष के आदेश को अपीलीय न्यायालय के आदेश में यथावत रखा गया है और प्रत्यर्थी पक्ष ने तर्क में उक्त तथ्य स्वीकार कर लिया है। इसलिए, केवल आवेदिका को क्षतिपूर्ति दिए जाने पर ही विचार किया जाना बाकी है।

14. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 22 में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट को प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए घरेलू हिंसा के कृत्य के कारण आवेदिका को मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक संकट सहित चोटों के लिए क्षतिपूर्ति और हर्जाना देने का अधिकार है। विद्वान मजिस्ट्रेट के इस निष्कर्ष को अपीलीय न्यायालय ने भी बरकरार रखा है कि आवेदिका ने प्रत्यर्थीगण के साथ रहते हुए घरेलू हिंसा का सामना किया है। घरेलू हिंसा से महिलओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है जो एक बहुत व्यापक परिभाषा है। इसलिए, अपीलीय आदेश

में क्षतिपूर्ति के आदेश को खारिज करना पूरी तरह से उचित नहीं था, यद्यपि दिए गए क्षतिपूर्ति की मात्रा पर विचार किया जाना चाहिए था।

15. आवेदिका और अन्य साक्ष्यों के साक्ष्य पर विश्लेषण उपरांत और यह परिणाम देखते हुए कि आवेदिका को विवश होकर अब अपने माता-पिता के साथ रहना पड़ रहा है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि प्रत्यर्थीगण के साथ रहते हुए उसने जो प्रताड़ना सहन किया है और प्रत्यर्थी क्रमांक 01 के साथ उसके संबंधों में आई टकराव के कारण उसे जो मानसिक परेशानी हुई है, उक्त के संबंध में मुआवजे की हकदार थी। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया क्षतिपूर्ति राशि अधिक प्रतीत होता है, जिसे अपीलीय आदेश में पूर्ण रुप से अस्वीकार कर दिया गया है, उक्त राशि कम किया जाना चाहिए था ताकि इसे उचित क्षतिपूर्ति कहा जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. पक्षकारों के मध्य प्रकरण में सभी प्रस्तुतियों और सभी पहलुओं पर विचार उपरांत और पूर्व में निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर, सीआरआर संख्या 12/2019 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अपीलीय न्यायालय द्वारा दी गई मौद्रिक अनुतोष के आदेश की पुष्टि की जाती है। इसके अतिरिक्त यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 01 आवेदिका को अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में इस आदेश की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर 50,000/- रुपये का भुगतान करेगा। सीआरआर क्रमांक 32/2019 को खारिज किया जाता है तथा तद्नुसार निराकृत ।

हस्ताक्षर/-
राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur